न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री दीपेन्द्रसिंह राठौर आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

करण संख्या : 02/2015 राजस्व वाद

दायर दिनांक–16/2/2015
निर्णय दिनांक– 11/4/16

1– श्री धारजी पिता हलिया खराडी मीणा निवासी गामडाबामणिया
2– श्री लक्ष्मण पिता हलिया खराडी मीणा निवासी गामडाबामणिया तहसील सागवाडा

(वादीगण)

बनाम

1– श्री नानूराम पिता धुला डेण्डोर मीणा निवासी गामडाबामणिया
2– श्रीमती रूप पुत्री धुला डेण्डोर मीणा पत्नि श्री शंकर खांट निवासी लिमडी
3– श्री करूपा पिता कालिया भील निवासी गामडाबामणिया के कायम मुकाम —
3/1– श्री कचरा पिता करूपा
3/2– श्री कला पिता करूपा
3/3– श्री मोगजी पिता करूपा
3/4– श्री शान्तु पिता करूपा भील
4– श्री लेण्ड होल्डर तहसीलदार सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादीगण – श्री मयंक दोसी ,
वकील प्रतिवादीगण – श्री वासूदेव ननोमा

वाद बाबत घोषणा ,एंव स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने ,इन्द्राज दुरूस्ती करने अन्तर्गत धारा 88,89,188 सपठित धारा 209राजस्थान टिनेन्सी एक्ट धारा 136 रा.ले0रे0एक्ट

निर्णय

वाद वादीगण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है वादीगण एंव प्रतिवादी नंबर 1 व 3 गॉव गामडाबामणिया के निवासी है । वादीगण के पिता का नाम हलिया पुत्र धरमा खराडी था एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता का नाम धुला पुत्र कालिया था । यह कि स्व0 धुला मौजा गामडा बामणिया के वर्तमान खाता नम्बर 14/13 की भूमि का अकेला खातेदार था जिसका पूर्व में खाता नम्बर 11 था । दिनांक 27.12.1984 कों वादीगण के पिता को स्व0 धुला ने जरिये इकरारनामा के अपने स्वामित्व एवं कब्जेदारी के खाता नम्बर 11 के 5 खेत जिनके खसरा नम्बर –129 रकबा 1 बिघा 9 बिस्वा,130 रकबा 6 बिस्वा, 134 रकबा 14 बिस्वा,135

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

1बीघा 4 बिस्वा ,136 रकबा 1 1बिस्वा कुल रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा था रूपया 860.00 कर इन खेतों का कब्जा वादीगण के पिता को सुपुर्द किया एवं इकरारनामा में यह तथ्य किया कि स्व0 धुला को समय नहीं होने से बाद में वह इन खेतों की रजिस्ट्री वादीगण ता स्व0 हलिया को कर देगा । श्री धुला ने जो इकरारनामा निष्पादित किया था उस पर पूत्र नानू प्रतिवादी संख्या 1 ने भी अंगुष्ठ निशानी की है । इस इकरारनामे के कुछ बाद हलिया एवं धुला की मृत्यु हो गई ।वादीगण अपने पिता की मृत्यु के बाद रनामे को ही रजिस्ट्री मानते रहे एवं यह समझते रहे कि यह खेत राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज है । उक्त पांचों खेतों पर आज तक निरन्तर कब्जा बिना किसी रूकावट के गण का शान्तिपूर्वक चला आ रहा है । वर्ष 1993 में माननीय उपखण्ड अधिकारी वाडा की डिक्री के आधार पर खाता नम्बर 11 की भूमि में 1/2 हिस्से की भूमि में वादी संख्या 3 का नाम खातेदार के रूप में जोडा गया जो वादीगण के पिता को उक्त खेत विक्रय करने के बाद जोडा गया है जिससे वादीगण के हिस्से पर कोई प्रभाव नहीं ता है । यदि प्रतिवादी संख्या 3 का कोई हिस्सा निकलता है तो उस हिस्से की भूमि वह तेवादीगण संख्या 1 व 2 से वादीगण के पिता को बेचे गये उपरोक्त पॉच खेतों के अलावा शेष भूमि में से ले सकता है । वादीगण द्वारा उक्त खेत क्रय किये जाने के बाद खेतों के कास पर काफी राशि खर्च की है ।राजस्व रेर्काड में अभी स्व0 धुला की पत्नि कडूव का म भी दर्ज है जो कडूवं की भी मृत्यु हो चुकी है। उक्त खेत वादीगण के पिता द्वारा क्रय केये जाने से एवं तब से ही उनका कब्जा होने से अपने आपको इनका खातेदार घोषित राने के अधिकारी हैं।उपरोक्त भूमि क्रय करने के दस्तावेज को नहीं माना जावे तो भी वादीगण का इस पर मुखालफाना कब्जा भी साबित है । वादी की ओर से वाद के अन्त में मौजा गामडा बामणिया के खसरा नम्बर –129 रकबा 1 बिघा 9 बिस्वा,130 रकबा 6 बिस्वा, 134 रकबा 14 बिस्वा,135 रकबा 1बीघा 4 बिस्वा ,136 रकबा 11बिस्वा कुल रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित करना एवं राजस्व रेर्काड में अमल दरामद कर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम इनके खातेदार के रूप में हटाकर वादीगण का नाम उक्त भूमि के खातेदार के रूप में दर्ज करने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने कि उक्त आराजीयात पर चले आ रहे वादीगण के कब्जे से बेदखल करने का प्रयास नहीं करें न ही उनके कब्जे में किसी प्रकार की दखलंदाजी करे न ही किसी प्रकार से इन पांच खेतों को बेचान रहन बक्षीस के जरिये इसको किसी अन्य को हस्तान्तरित करें बाबत जारी किए जाने का निवेदन किया गया है

वादीगण की ओर से वाद की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए वाद के साथ नक्शा ट्रैस, जमाबन्दी , खसरा गिरदावरी, की नकले प्रस्तुत की गई है ।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए ।

प्रतिवादी संख्या 2 व 1 कमशः दिनांक 9–3–15 एवं 13–4–15 को अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए । प्रतिवादी संख्या 3 फौत हो जाने से कायम मुकाम को नोटिस जारी किए गए । अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाकर वादी की साक्ष्य प्रारम्भ की गई । वादी की ओर से वादी स्वयं का बयान शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज प्रदर्श करा साक्ष्य वादी समाप्त की गई ।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस समायत की गई । वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि विक्रय का ईकरार नामा हुआ था लेकिन विधिवत पंजिकृत दस्तावेज नहीं कराया जा सका । वादीगण इस इकरारनामे को ही रजिस्ट्री समझते रहे एवं ईकरार नामे के बाद से आराजीयात पर कब्जा काश्त वादीगण का ही चला आ रहा है । विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वादीगण का मुखालफाना कब्जा होने से भी खातेदार घोषित कराने एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का नाम हटवाने के अधिकारी होना बताते हुए प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने कि उक्त आराजीयात पर चले आ रहे वादीगण के कब्जे से बेदखल करने का प्रयास नहीं करें न ही उनके कब्जे में किसी प्रकार की दखलंदाजी करे न ही किसी प्रकार से इन पांच खेतों को बेचान रहन बक्षीस के जरिये इसको किसी अन्य को हस्तान्तरित करें बाबत जारी किए जाने का निवेदन किया गया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक वादीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया ।

इकरारनामा प्रदर्श –5ए जो कि छाया प्रति है , की ईबारत अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता धूला के द्धारा दिनांक 27/12/1984 को वादीगण के पिता हलिया पिता धरमा को आराजी नम्बर 129 रकबा 1बीघा 9 बिस्वा ,130 रकबा 0.6बिस्वा , 134 रकबा 0.14 बिस्वा ,135 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा ,136 रकबा 0.11 बिस्वा कुल किता खेत 5 रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा विक्रय किए जाने एंव इसकी विधिवत रजिस्ट्री जल्दी ही कर देने का उल्लेख है । इस प्रदर्श –5 ए पर विक्रेता धुला एवं धूला के पूत्र नानू के हस्ताक्षर अंगूष्ठ निशानी है । इससे यह स्पष्ट होता है कि धूला के द्धारा उक्त पॉच खेत वादीगण के पिता को विक्रय किए थे लेकिन इसका विधिवत पंजियन नहीं कराया । वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में भी यह बताया गया है कि उक्त ईकरार नामा के बाद से वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा काश्त निरन्तर बिना किसी रोक टोक के चला आ रहा है ।

प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय में उपस्थित हो इस बात के विरोध में जवाब अथवा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए है ।

उपखण्ड अधिकारी
सगवाड़ा

Scanned by CamScanner

अतः वाद वादीगण स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादीगण वर्तमान प्रचलित बाजार दर से पंजियन शुल्क उप पंजियक कार्यालय में जमा करा रसीद प्रस्तुत करेंगे इसके पश्चात ही वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के खाते दर्ज किए जाने एवं प्रतिवादीगण का नाम हटाने के सम्बन्ध में प्रथक से आदेश जारी किया जावेगा ।

डिक्री पर्चा जारी हो । निर्णय आज दिनांक 11.4.16 को खूले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ,नम्बर से कम हो ।

(दीपेन्द्रसिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner